Purva Mimaansa | Refereed | Peer Reviewed
ISSN: 0976-0237 | Volume 12, Issue March 2021 | Impact Factor 4.115

21वी शताब्दी में महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ करने हेतु संवैधानिक प्रावधान: एक सामाजिक- भौगोलिक परिपेक्ष्य पर विश्लेषण

ANU JANGIR
Assistant Professor, Department of Law, Apex School of Law, Apex University, Achrol, Jaipur-Delhi Highway

OM SINGH
Assistant Professor, Department of Sociology, Apex School of Humanities & Arts Apex University, Achrol, Jaipur-Delhi Highway

VIPIN KUMAR
Assistant Professor, Department of History, Apex School of Humanities & Arts, Apex University, Achrol, Jaipur-Delhi Highway

सारांश

21**वी सदी में महिला भारतीय समाज में विभिन्न रूप (मां ,पत्नी ,बहन और देवी) में प्रतिष्ठित है**| यह स्वरूप कालांतर से देखते आ रहे हैं, इसके बावजूद भी भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में महिलाओं की स्थिति दयनीय है | स्वतंत्रता पश्चात लोकतांत्रिक स्वरूप में महिलाओं को हीनता के ढांचे से ,कानूनों में, संपत्ति अधिकारों से, स्वामित्व के स्वरूप से और अन्य संस्था ने सिर्फ पुरुषों के आवाज को प्रोत्साहित करती है, न की महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की दिशा में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसी पहल भारतीय समाज में अहम कदम है| केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिला को सशक्त करने के लिए भी समय-समय पर कई प्रावधान बनाए गए हैं **मेरे शोध शीर्षक का नाम: "21वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण को दृढ़ करने हेतु वैधानिक प्रावधान : एक सामाजिक भौगोलिक परिपेक्ष पर विश्लेषण"** है|

शब्द कुंजी: महिला, सशक्तिकरण, प्रावधान, कानून, भारतीय समाज आदि |

प्रस्तावना

महिला हमेशा से ही भारतीय स्वरूप में एक कमजोर परिदृश्य के रूप में देखी गई है | **इतिहास इस बात का गवाह है कि महिला वर्ग की परिस्थिति किसी भी काल में पुरुष वर्ग के बराबर नहीं थी** | उत्तर वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इन्हें संपत्ति के अधिकारों से, समाज के अधिकारों के साथ-साथ शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था | मनुस्मृति में भी हमें महिला के जीवन चरित्र का नकारात्मक वृतांत पढने को मिलता है |

आजादी से पूर्व मुगल काल में नारी वर्ग का उच्च-पतन देखने को मिलता है | इस काल –क्रम में केवल महिलाओं को एक भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था | इसके साथ ही पुरुष वर्ग नारी जाति पर संपत्ति जैसा अधिकार होता था | इस समय बालिका शिशु-वध, सती-प्रथा , जोहर, बहू- पत्नी –विवाह, पर्दा-प्रथा एवं बालिका भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कु-प्रथाओ----- का समाज में उदय हो चुका था यदि हम महिला शक्ति को ध्यान में रखते हुए इस काल को महिला इतिहास सबसे काल युग जा कहगे, तत्पश्चात जहां भारतीय समाज पर मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका था, वह दूसरी ओर इससे भारतीय समाजपर ब्रिटिश जैसे चील शत्रु ने अपना उपनिवेश बना लिया था इस ब्रिटिश काल में महिलाओं की स्थिति में और अधिक दयनीयस्थिति देखी गई है लेकिन भारतीय समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है| जैसे:- राजा राममोहन राय ने सन 1828 ई. में ब्रह्मसमाज का गठन किया|

इस प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया इसी के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा जैसी कुर्तियों को भारतीय समाज में समाप्त करने में अहम योगदान दिया यही आजादी से पूर्व ब्रिटिश काल में महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने का सुदृढ़ प्रयास था|

PURVA MIMAANSA

बिना महिलाओं की सहभागीदारी के आजादी आंदोलन को सफल नहीं बनाया जा सकता था महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में भी देखी गई जैसे भारतीयों की आयरन लेडी प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के परिणाम स्वरुप राजकुमारी अमृत कौर और सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित आदि महिला समाज सुधारकों का उदय हुआ लोकतांत्रिक परिवेश में नारियों को अधिकारों की रक्षा करने समाज में समानता का अधिकार दिलवाने के लिए सन १९९२ ई में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया|

30 मार्च, 1993 ई को राष्ट्रीय नीति बनाई गई इस आयोग की नीतियों के तहत महिला विकास एवं महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने एवं सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अथक प्रयास किए जा रहे हैं इन प्रयासों से नारियां पूर्ण रूप से आर्थिक सामाजिक राजनीतिक एवं अन्य पक्षो से पुरुषों के समान अधिकार व सम्मान प्राप्त करने में सफल हो रही है हमारे सच्चे अर्थ में नारी शक्ति का सम्मान है |

साहित्य समीक्षा

समाज विज्ञान के अनुसंधान व क्षेत्रीय अध्ययनो ,अखबारों, पुस्तकालयो व आलेखों पर आधारित अध्ययनों में साहित्य समीक्षा का एक अत्याज्य अंग है क्षेत्रीय अध्ययन जैसा की प्रस्तुत अध्ययन प्रणाली में जहां प्राप्त उपकरणों का उपयोग तथा सूचना संकलन का कार्य होता है समस्या से संबंधित संपूर्ण साहित्य की समस्या शोध का प्राथमिक स्तर है और अनुसंधान के गुणात्मक स्तर के चयन में एक महत्वपूर्ण कार्य है|

राम जगजीवन की विवेचना है कि जातिवाद समाज में दो-टूक करने का जहर है जिसने समाज की विभिन्न भागों विभिन्न वर्गों में विभक्त कर दिया गया है यह जहर भारतीय समाज के विकास को रोकता है तथा प्रगति पथ पर लाने में कई साल लग जाते हैं जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय पटल पर विकास की साख गिर जाती है| (राम जगजीवन, 1975, p-156.)

सी,आर.पी के शब्दों में आज महिलाओं की अनेक समस्याएं जिसके छुआछूत बेरोजगारी गरीबी ,अशिक्षा ,असंतोष संस्कारों के प्रति झुकाव और कर्मदारी आदी है अतः महिलाओं को संगठित होकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करना चाहिए जिससे कि अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखें इस माध्यम से महिलाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके| (सिंह.आर .जी, 1986, p.72-92.)

शोध उद्देश्य

1. महिलाओं को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्यन करना|
2. महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रति जानकारी का अध्ययन होना |
3. महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे संवैधानिक कानूनों का अध्ययन करना|

शोध प्राक्लपनाए

1 समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कमजोर है|
2 महिला सशक्तिकरण के प्रति समाज में महिलाएं जागरूक नहीं है|
3 महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे संविधान इन कानूनों की प्रति जानकारी प्राप्त ना होना|

शोध पद्धति

शोध कार्य के लिए किसी अनुसंधान अभिकल्प की रचना एवं विश्वसनियता, आंकड़ों के संकलन में सहायक होती है जो अध्ययन को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में सहायता करती है | यह शोध कार्य उस कार्य से शत प्रतिशत सही रखता है | शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा गुणात्मक शोध पर सोच विचार विमर्श से चयन किया गया है| शोधार्थियों ने अध्ययन से संबंधित सामग्री प्राथमिक एवं दित्तीयक स्त्रोतों से प्राप्त की है जो शोध अध्ययन में सहायक है, इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं ,समाचार पत्र, पुस्तकें एवं इंटरनेट आदि स्त्रोतों की सहायता ली गई है |

PURVA MIMAANSA

महिलाओं की रक्षा हेतु दिए जाने वाले प्रावधान

भारतीय समाज में नारीयो की सामाजिक सुधार हेतु कानून या अधिनियम बनाए जाते जा रहे हैं परंतु उनका क्रियान्वयन और समाज सुधार समिति संतोषजनक नहीं है नारियो अक्षमताओका अल्प हिस्सा ही कानून नियमो या प्रावधानों से काबू में आया है वहीं दूसरी ओर परपरागत प्रणाली ने जीवन के खिलाफ कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था में विकास बहुत धीमा रहा हे|

महिलाओं को संरक्षण देने वाले अधिनियम का प्रावधान

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम,१८७२
2. बाल विवाह अवरोध अधिनियम,१९२९
3. मुस्लिम विवाहविच्छेद अधिनियम ,१९३९
4. चलचित्र अधिनियम,१९५२
5. विशेष विवाह अधिनियम,१९५४
6. हिंदू विवाह अधिनियम ,१९५६
7. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ,१९५६
8. हिंदू अवस्था अधिनियम एवं संरक्षण अधिनियम,१९५६
9. महिलाओं व लड़कियों के (अनैतिक व्यापार पर रोक) अधिनियम,१९५६
10. दहेज प्रतिषेध अधिनियम,१९६१
11. मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१
12. गर्भावस्था समापन चिकित्सा अधिनियम ,१९७१
13. भारतीय दंड संहिता अधिनियम १९७३
14. महिला अशिष्ट चित्रण प्रतिबंध अधिनियम १९८६
15. अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम १९८६
16. परिवारिक उत्पीड़न रोकथाम कानूनी मान्यता दित्तीय संशोधन,१९८३

(कश्यप, सुभाष, 1995, हमारा संविधान, p.132-139.)

नारियो के उत्थान के लिए उपयोगी प्रावधान भारतीय संविधान में

1. अनुच्छेद १४, कानून के समक्ष बराबरी|
2. अनुच्छेद १५, धर्म जाति लिंग व जन्म स्थान आदि होने पर भेदभाव पर रोक|
3. अनुच्छेद १६, लोक सेवाओ में बिना भेदभाव अवसर की समता|
4. अनुच्छेद १७ ,समान रूप से अभिव्यक्ति की आजादी|
5. अनुच्छेद२१ , जीवन एवं व्यक्तिगत आजादी की सुरक्षा|
6. अनुच्छेद २३ २४,शोषण के खिलाफ अधिकारी|
7. अनुच्छेद २५ , विचार एव पंथ की स्वतंत्रता|
8. अनुच्छेद २९ सामाजिक संस्कृति.आर्थिक अधिकार|
9. अनुच्छेद ३० शिक्षा से सम्बन्धित अधिकार|
10. अनुच्छेद ३९ कार्य वेतन समानता का अधिकार|
11. अनुच्छेद ४०,७३ एवं ७४ वे संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय राज सस्थानो में|

PURVA MIMAANSA

12. अनुच्छेद ४१ राज्य के नीति निदेशक संबंधित तत्व सेसम्बन्धित है जो महिलाओं को विशेष रूप से सामजिक सुरक्षा प्रदान करती है|
13. अनुच्छेद ४२ मातृत्वप्रसूति सहयता का अधिकार|
14. अनुच्छेद ४३, कौशल महिला के अच्छा वेतन एवं अच्छा जीवन जीना का अधिकार|
15. अनुच्छेद ४४ समान नागरिकता कानून का अधिकार संबंधित|
16. अनुच्छेद ४७ पोषाहार जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधारसम्बन्धित अधिकार|
17. अनुच्छेद ३३०, में ८४ वा सविधान संशोधन के माध्यम से लोक सभा में महिलाओं के आरक्षण व्यवस्था संबंधित है|
18. अनुच्छेद ३३२ क ८४ वां संविधान संशोधन में आरक्षण को व्यवस्था से सम्बन्धित है| (डी.डी.,1994, p.142-173.)

नारियों के प्रति अत्याचारों / अपराधों की रोकथाम हेतु भारतीय दंड संहिता धाराएं

क्र.सं	धारा	अपराध	दण्ड प्रावधान
1.	294	छेड़छाड़	किसी सार्वजनिक स्थान पर यदि व्यक्ति अश्लील गाने,हरकतें या कोई कृत्य करता है जिसमे नारी को ठेस पहुंचता है, तो व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा २९४ के अंतर्गत ३ महीने की सजा ३ महीने की सजा वह जुर्माना दोनों का प्रावधान है|
2.	304 ख	दहेज मृत्यु	7 वर्ष के अंदर विवाहित महिला को शारीरिक क्षति या अन्य परिस्थितियों से मृत्यु होती है, उस समय रिपोर्ट में' यह दर्शाया जाता है कि दहेज जैसी कु-प्रथा से महिला की मृत्यु हुई है| इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा ३०४-ख के अंतर्गत आजीवन कारावास का प्रावधान है|
3.	312 से 318	कन्या भ्रूण हत्या	कन्या भ्रूण हत्या एक छोर जमानती अपराध है जिससे ड्राइवर, माता-पिता व इससे जुड़े व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता संहिता धारा ३१२ से ३७८ सजा देने का प्रावधान है|
4.	354	लज्जाभंग	महिलाओं को नंगन करना , हाथ पकड़ना और नीचे गिराना आदि लज्जा भंग के उदाहरण हे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा का प्रावधान है|
5.	363 से 373 तक	अपहरण एवं व्यवहरण	नारी की मंशा के खिलाफ अपहरण कर विवाह ,वेश्यावृत्ति एम संभोग के लिए नाबालिक लड़कियों का क्रय विक्रय करना भारतीय दंड संहिता की धारा ३६३ से ३७३तक दण्डनीये प्रावधान घोषित किया गया है|
6.	376	बलात्कार	यदि किसी महिलाओं की सहमति के बिना उसके साथ लेकिन लैंगिक मैथुन करना बलात्कार है भारतीय दंड संहिता की धारा ३७६ के अंतर्गत अभिवक्त को आजीवन कारावास का प्रावधान है|
7.	377	अप्राकृतिक मैथुन	यदि कोई पुरुष या आदमी महिला और जीव जन्तु के साथ प्रकति की व्यस्था स्वेच्छा से संभोग करता हे तो भारतीय दंड संहिता की धारा ३७७ के अंतर्गत आजीवन कारावास का दण्डनीये प्रावधान है|
8.	498 क	मानसिक एवं शारीरिक उत्पीडन	छोटी छोटी बातो से महिला के साथ निर्दयता पूर्ण व्यवहार करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९८ के अंतगर्त ३ वर्ष का कारावास का प्रावधान है|

(श्री वास्तव सुधारानी, 1999, p.226-232)

PURVA MIMAANSA

सुझाव

महिलाओं की पृष्ठभूमि को जब भारतीय समाज में देखते हैं कि नारीयो की स्थिति लगातार बदलती रही है | आजादी पश्चात महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनेक प्रयास किए गए है | शोध- पत्र में जो निष्कर्ष निकाले गए है, इसी आधार पर भारतीय समाज कि नारियो मे पूर्ण सशक्तिकरण कि कमी है | शिक्षत महिलाओ मे भी आंशिक सशक्तिकरण पाया गया है वही दूसरी ओर भारतीय समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियों या रुडित वादिताये भी इसमें वादधक हे शोध पत्र से पाए गए निष्कर्षओ के आधार पर महिला सशक्तिकरण के लिए निम् सुझाव दिए जा सकते हें |

1. नारियों और लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारो और कर्तव्य के प्रति जागरूक हो सके |
2. क्षेत्रीय राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण संबंधी सूचना देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे वे अपने विकास के बारे में जान सकें |
3. भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा एवं मृत्यु भोज पर अंकुश लगाना चाहिए इससे महिला सशक्त होगी |
4. भारतीय समाज में महिला जाति को अपने अधिकारों को लड़ने के लिए मुफ्त कानूनी एवं वैधानिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सकें |
5. नारी जाति को आत्म में कौशल बनाने हेतु सरकारी और गैर सरकारी सेवा में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अफसरों में बराबर का दर्जा मिल सके |
6. भारतीय समाज के परिवारों द्वारा जाति नारी जाति को चुनावों में भागीदारी का पूर्ण अवसर देना चाहिए ताकि चुनाव प्रणाली में बोर्ड की कीमत को पहचाने और अपनी आप कों स्वतंत्र महसूस करें |
7. भारतीय समाज में महिलाओं के मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वो की सुरक्षा प्रत्येक परिस्थिति में सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि जिन नारियों के अधिकार का उल्लन होता है तो उनको न्याय भी कानून से मिल सके |
8. भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक निर्णयों में आजादी देनी चाहिए जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी महिलाओं की बचत को प्रोत्साहन देने के लिए जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा प्रदान कि जानी चाहिए |
9. भारतीय समाज में स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभावो (मादक द्रव्य पदार्थ)की सूचना देने के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कैंप लगाकर जागरूकता पैदा करना है ता नशा निवारण केंद्र की जानकारी देना इससे महिला स्वास्थ्य रूपी क्षेत्र में सशक्त होगी |
10. भारतीय समाज में लैगिंकअसमानता को समाप्त करने हेतु दोनों का सामाजिकरण होना चाहिए जिससे दोनों को समाज में आगे चलकर सम्मान महत्व मिले और पुरुषवादी सोच में परिवर्तन एवं एकाधिकार वाली धारणा कों समाप्त करके महिला स्थिति की धारणा समाज में समान बने |

निष्कर्ष

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 5.67 % हिस्सा राजस्थान राज्य में निवास करती है | मनुष्य जाति में ईश्वर की अनमोल कृति में नारी को जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय समाज-रचना में नारियों का महत्व योगदान है | इसके साथ नारी अपने आपको बहन ,पत्नी और माता रूपी जैसे आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे वह अपने कर्तव्य को समझती हुई संग्रह मानव जाति का निर्माण करती है | 21वीं सदी में महिलाओं के विकास या सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान ,पंचवर्षीय योजनाएं एवं अन्य

PURVA MIMAANSA

योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयत्न किया है I

संदर्भ सूची

सिंह., आर .जी. 1986. भारतीय महिलाओं की समस्या एवं समाधान. भोपाल: हिंदी ग्रंथ अकादमी. p.77-92

कश्यप, सुभाष. 1995. हमारा संविधान. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया. p.132-139

डी.डी. 1994. भारतीय संविधान का परिचय. नई दिल्ली: प्रैक्टिस ऑल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, p.142-173.

राम, जगजीवन. 1975. भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या. दिल्ली: राजपाल एंड संस, p-156.

श्रीवास्तव, सुधारानी. 1999. स्टेटस ऑफ वूमेन इन इंडिया. दिल्ली: ए पी एस पब्लिक कॉरपोरेशन, p.226-232.

PURVA MIMAANSA